यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारी:–सुनिता यादव, आर.ए.एस.
द्दमा संख्या:–62 / 2018 प्रार्थना पत्र
बंशीनाथ पिता लेहरी नाथ, उम्र बालिग निवासी कालंसारा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

———प्रार्थी

बनाम

श्री गंगाराम पिता लालू जाट, उम्र बालिग निवासी कालंसारा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्रीमति रोशनी बाई पति मिश्रीलाल महाजन, उम्र बालिग निवासी कालंसारा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री सत्यनारायण पिता रामदेव कीर, उम्र बालिग निवासी कालंसारा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री दीपक पिता धन्ना गूजर, उम्र बालिग निवासी कालंसारा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री रामसुख पिता कल्याण मुतबन्ना देवी तेली, उम्र बालिग निवासी कालंसारा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

———

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–..11.6.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कालंसास पटवार हल्का रीछड़ा ल व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 553 रकबा 3 बीघा 10 . भुमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते / संयुक्त की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.06.2018 को पंजीबद्ध किया प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार ख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार त किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर न पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया ग्राम कालंसास पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों राजी नम्बर 553 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा, भुमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख क महुआकंला को 400/–रूपये (अक्षरेः– चार सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर रान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

तिपिः–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner